RBE No.132/2023

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय /MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/(RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I/2023/TR/31 New Delhi, Dated :01.12.2023

The General Manager (P)
All Zonal Railways/PUs

Sub: Timeline for transfer on mutual exchange basis for non-gazetted railway employees over Zonal Railways.

Ref: 1. Board's letter No. E(NG)I-2017/TR/24 dated 09.05.2018.
2. Board's letter No. E(NG)I-2018/TR/8 dated 11.01.2019.

*****

Kindly refer to Board's letters under reference at (1) and (2) above containing instructions for transfer of non gazetted railway employees on mutual exchange basis. In recent times, a notable delay has been observed in the processing of transfer on mutal exchange basis at various levels. The matter was also brought to attention in the PCPO's meeting. Accordingly, Board's instructions for framework/timeline for transfer on mutual exchange basis issued vide Para 10 of Board's letter dated 11.01.2019 is being reiterated for strict compliance:

S.N.	Activitiy
(i)	**Forwarding of applications by Supervisors to the Personnel Department of the Division:** It should be verified at the stage that the prescribed application form is complete in all respects duly signed by both employees and the information given therein is correct. In case of Workshop staff, this will be done at the Workshop itself. **10 days**
(ii)	**Forwarding by Divisional Personnel Department:** a. Divisional controlled Posts: Divisional Personnel Department will forward the request application with necessary documents directly to the Division concerned to which transfer is sought. The name and designation of the officer signing the letter should invariably be mentioned in the forwarding letter. In respect of Workshop staff, this will be doen by Chief Workshop Manager (CWM) or by lower authority to whom the powers may be re-delegated. b. HQ controlled posts: Personnel Department will forward the application with all the necessary documents to Zonal HQ (CPO office). **15 days**

—2—

(iii)	**Forwarding by HQ Personnel deptt (For HQ controlled posts):-** On receipt of the application duly forwarded from Division/Workshop, the HQ Personnel Deptt office will forward it to the Zonal Rly/PU concerned. **15 days**
(iv)	**Conveying of acceptance:** The counter-part HQ/Division to issue their acceptance to forwarding HQ/Division (as the case may be). **10 days**
(v)	**Issue of Transfer Order:** On receipt of consent from the receiving HQ/Division, the transfer orders should be issued. **10 days**
(vi)	**Dispatch of LPC and Service Records:** Personnel Department concerned should ensure that the LPC and Service Record of the employee(s) are sent expeditiously to the new Division/Zone etc in terms of Boards letter number E(NG)I-2001/TR/16 dated 21.11.2001. Attested Xerox copy of the Service Record should be given to the employee concerned. **15 days**

2. Further Board's letter dated 09.05.2018 (under reference at (1) above) also stands reiterated stating that all mutual transfer cases where NOC has been given by both the Railways/Units i.e. accepting and relieving, both the employees should be spared immediately within a week, without either unit waiting for the reliever. In addition, it is directed that in the event of any doubt the senior person shall necessarily be relieved first within a week of issue of mutual transfer orders.

Sanjay 01/12/2023

(Sanjay Kumar)
Dy. Director Estt (N)
Railway Board
Ph. No. - 011-23303658
E mail Id- sanjay.kumar6@gov.in

E(NG)I/2023/TR/31 **New Delhi, dated 01.12.2023**

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
3. All Members/Departmental Council & National Council & Secretary/Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).

6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
11. General Secretary, All India SC&ST Railway Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.

01.12.23
for PED(IR)/Railway Board

Advisor/MR, PSs/MoSR(D), MOSR (J), EDPG/MR, OSD/MR, OSD/Coord/MR

PPSs to Chairman & CEO, M(F), M(Infra), M(T&RS), M(O&BD), Secretary, DG/RHS and DG/RPF.

PPSs to AM(Comml.), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elec.), AM(Budget), AM(F), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Stores), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), AM(T&C), AM(Staff), AM(HR), PED(Vig.) and PED(Infra.).

PSs to ED/Safety(M), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDE(N), EDME(W), EDERS(G), EDE(Res.), EDE(RRB), EDF(B), ED(RE), ED/Track(M), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDE(GC), ED(Stat), ED(Track/MC), EDME(Chg.), EDME(Traction), ED(Works), EDME(Dev.), EDRS(C), EDRS(W), EDPC, EDF(E), EDA, EDV(A), JS(G) and IG/RPF.

DPC-II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), DE(N)II, DE(R), DE(D&A), DE(LL), JD(OL), JDE(Rep), JDE(RRB), DD(Code Revision), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(LR)III, DDV(A&P), DD(OL)I, E(NG)II, E(Rep)I, E(Rep)II, E(Rep)III, E(SCT)I, E(SCT) II, E(RRB), PC-III, PC-IV, PC-V, E(P&A)I, E(P&A)II, CE-I, CE-II, CE-III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), Safety Branch, A/C-III and Code Revision Cell.

****

आरबीई सं. 132/2023

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

रेलवे बोर्ड/(RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)I/2023/टीआर/31 नई दिल्ली, दिनांकः 01.12.2023

महाप्रबंधक (कार्मिक)

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषयः सभी क्षेत्रीय रेलों में अराजपत्रित रेल कर्माचारियों के लिए पारस्परिक विनिमय आधार पर स्थानांतरण के लिए समय-सीमा।

संदर्भः 1. बोर्ड का दिनांक 09.05.2018 का पत्र संख्या ई(एनजी)I-2017/टीआर/24

2. बोर्ड का दिनांक 11.01.2019 का पत्र संख्या ई(एनजी)I-2018/टीआर/8

कृपया बोर्ड के उपर्युक्त संदर्भाधीन (1) और (2) पत्रों का अवलोकन करें जिनमें पारस्परिक विनिमय आधार पर अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए निर्देश अंर्तविष्ट हैं। हाल ही में, विभिन्न स्तरों पर पारस्परिक विनिमय आधार पर स्थानांतरण की कार्रवाई में महत्वपूर्ण विलंब पाया गया है। इस मामले को प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारियों की बैठक में भी ध्यान में लाया गया था। तदनुसार, बोर्ड के दिनांक 11.01.2019 के पत्र के पैरा 10 द्वारा जारी पारस्परिक विनिमय आधार पर स्थानांतरण के लिए रूपरेखा/समय-सीमा बोर्ड के निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन के लिए दोहराया जा रहा हैः

क्रम संख्या	गतिविधि
(i)	**पर्यवेक्षकों द्वारा मंडल के कार्मिक विभाग को आवदेन अग्रेषित करनाः** इस चरण में सत्यापित किया जाना चाहिए कि निर्धारित आवेदन फार्म दोनों कर्मचारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं पूर्ण रूप से भरा गया है और उस में दी गई जानकारी सही है। कारखाना कर्मचारियों के मामले में इसे कारखाना में ही किया जाएगा। **10 दिन में**
(ii)	**मंडल कार्मिक विभाग द्वारा अग्रेषित करनाः** क. मंडल नियंत्रक पदः मंडल कार्मिक विभाग अपेक्षित दस्तावेजों सहित अनुरोध पत्र को सीधे

...2/-

	जिस मंडल के लिए स्थानांतरण मांगा गया है, को अग्रेषित करेगा। अग्रेषित पत्र में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम का अनिवार्य रूप से उल्लेखित होना चाहिए। कारखाना कर्मचारियों के संबंध में, यह कार्य मुख्य कारखाना प्रबंधक अथवा निम्न प्राधिकारी जिसे शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है द्वारा किया जाएगा। ख. मुख्यालय नियंत्रक पदः कार्मिक विभाग सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन क्षेत्रीय मुख्यालय (मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय) को अग्रेषित करेगा। **15 दिन में**
(iii)	**मुख्यालय कार्मिक विभाग द्वारा अग्रेषित करना (मुख्यालय नियंत्रक पदों के लिए):-** मंडल/कारखाना से विधिवत् अग्रेषित आवेदन के प्राप्त होने पर , मुख्यालय कार्मिक विभाग कार्यालय इसे संबंधित क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई को अग्रेषित करेगा। **15 दिन में**
(iv)	**स्वीकृति भेजनाः** संबंधित मुख्यालय/मंडल का कार्मिक विभाग अग्रेषित मुख्यालय/मंडल को (जैसा भी मामला हो) अपनी स्वीकृति जारी करेगा। **10 दिन में**
(v)	**स्थानांतरण आदेश जारी करनाः** प्राप्तकर्ता मुख्यालय/मंडल से सहमति प्राप्त होने पर, स्थानांतरण आदेश जारी किए जाने चाहिए। **10 दिन में**
(vi)	**अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र और सेवा रिकार्ड भेजनाः** बोर्ड के दिनांक 21.11.2001 के पत्र संख्या ई(एनजी)I-2001/टीआर/16 के अनुसार संबंधित कार्मिक विभाग को यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कर्मचारी (कर्मचारियों) के अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र और सेवा रिकार्ड नए मंडल/जोन इत्यादि को शीघ्र भेज दिए गए हैं। संबंधित कर्मचारी को सेवा रिकार्ड की सत्यापित छाया प्रति दी जानी चाहिए। **15 दिन में**

2. इसके अलावा, बोर्ड के दिनांक 09.05.2018 के पत्र संख्या (उपरोक्त (1) में संदर्भ के अंतर्गत) यह भी दोहराया जाता है कि सभी पारस्परिक स्थानांतरण मामले में जहां अर्थात् पाने वाले और कार्यमुक्त करने वाले रेलवे/इकाइयों दोनों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया गया है, बिना किसी भार-मोचक की प्रतीक्षा

...3/-

के बिना दोनों कर्मचारियों को एक सप्ताह के भीतर शीघ्र कार्यमुक्त कर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह निर्देश दिया जाता है कि किसी भी संदेह की स्थिति में पारस्परिक स्थानांतरण आदेशों के जारी होने के एक सप्ताह के भीतर सबसे पहले वरिष्ठ व्यक्ति को आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जाएगा।

01/12/23
(संजय कुमार)
उपनिदेशक स्था. (अराज.)
रेलवे बोर्ड
फोन नं. 011-23303658
ईमेल आईडी- sanjay.kumar6@gov.in

सं.ई(एनजी)I/2023/टीआर/31 **नई दिल्ली, दिनांक: 01.12.2023**

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
3. सभी सदस्य, विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड प्रमोटी आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन 01.12.23
कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध)/रेलवे बोर्ड